

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-08112025-267483
SG-DL-E-08112025-267483असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 344]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 6, 2025/ कार्तिक 15, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 322
No. 344]	DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 6, 2025/ KARTIKA 15, 1947	[N. C. T. D. No. 322

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 6 नवम्बर, 2025

एफ.न०. 7(50)/85-ए.एच.डी/भाग-III/3763.—. कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार की दिनांक 17 दिसम्बर, 1985 की अधिसूचना सं. 23-116/84-एल.डी.टी. (एल.एच.एस.) (खण्ड II) के साथ पठित दिल्ली पशु चिकित्सा परिषद् नियमावली, 1988 के नियम - 3.1 के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा 1 के खण्ड "क" के अधीन दिल्ली पशु चिकित्सा परिषद् के सदस्यों को चुनने के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 (1984 का 52) के अध्याय 7 के अधीन रखे गये दिल्ली पशु चिकित्सा प्रैक्टिशनर रजिस्टर में नामांकित व्यक्तियों को बुलाते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
शूरबीर सिंह, सचिव एवं विकास आयुक्त

DEVELOPMENT DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 6th November, 2025

F. No. 7(50)/85-AHD/Part III/3763.— In pursuance of Rule 3.1 of Delhi Veterinary Council Rules, 1988 read with Government of India, Ministry of Agriculture and Rural Development (Department of Agriculture and Cooperation), New Delhi Notification No. 23-116/84-LDT (LHS) (Vol. II) dated 17th December, 1985 the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi calls upon the persons enrolled in the Delhi Veterinary Practitioners Register maintained under Chapter VII of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), to elect members of Delhi Veterinary Council under clause (a) of Sub-section (1) of Section 32 of the said Act.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
SHURBIR SINGH, Secy.-cum-Commissioner